

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)
मंत्रालय
//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 20/12/2017


क्रमांक 374/25/2017/आनीविइ/चार - भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-इ के खण्ड (1) तथा अनुच्छेद 243-म के खण्ड (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 66-25/2017/आनीविइ/चार दिनांक 20 मार्च, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"5. आयोग अधिसूचना दिनांक 20/03/2017 के पैरा 4 में संदर्भित विषय पर 31 जनवरी, 2018 तक उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अनुशंसा 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 पांच वर्ष की कालावधि के लिए होगी, जो पन्द्रहवें वित्त आयोग की कालावधि के समवर्ती है।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनोज गोविल)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ० क्रमांक 375/25/2017/आनीविइ/चार, भोपाल, दिनांक 20/12/2017 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(मनोज गोविल)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

निरंतर :-

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राज भवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, म0 प्र0 जबलपुर ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म0प्र0 मंत्रालय, भोपाल ।
5. स्टाफ आफिसर, माननीय वित्त मंत्रीजी ।
6. माननीय श्री हिम्मत कोठारी, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, बी-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल ।
7. श्री के0एम0 आचार्य, सदस्य, राज्य वित्त आयोग, भोपाल।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
9. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय ।
10. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय।
11. अपर मुख्य सचिव एवं सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, म0प्र0, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
12. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय ।
14. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विकास विभाग, मंत्रालय ।
15. सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग, म0प्र0 भोपाल ।
16. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
17. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/आडिट-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।
18. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
19. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल।
20. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
21. स्टाक फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(विजय कठाने)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
Department of Finance
(Economic Policy and Research Analysis Unit)

// NOTIFICATION //

No. 125/2017/EPAU-IV- In pursuance of the provisions of clause (1) of Article 243-I and clause (1) of Article 243-Y of the Constitution of India, read with section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam , 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes following amendment in this department's notification no. 66-25-2017-EPAU-IV dated 20th March 2017, namely:-


AMENDEMENT

In the said notification, for Para 5, the following Para shall be substituted, namely:-

"5. The Commission shall submit its report by January 31, 2018 on the subject referred to in Para 4 of the Notification dated 20/03/2017. The recommendation shall cover the period of five years from 01st April, 2020 to 31st March, 2025 which is concurrent with the period of the Fifteenth Finance Commission."

**by order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh**

Bhopal,
Dated December, 2017


(Manoj Govil)
Principal Secretary
Govt. of Madhya Pradesh,
Department of Finance